

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

रिपोर्ट पटवारी बोरियापुरा भू.अ. निरीक्षक आशादेवी तहसील रायपुर

महोदयजी निवेदन है कि जमीन खस-खस के खा.स. 175 जमाबन्दी 2076-79 पर पिता का नाम हांसू के बजाय आसू दर्ज कलना चाहता है। जमाबन्दी के खा.स. 147 जमाबन्दी में जमीनी के पिता का नाम दर्ज था। सेटलमेंट के पश्चात काधार वर्ष जमाबन्दी 2057-76 के खा.स. पर पिता का नाम आसू के बजाय हांसू दर्ज कर दिया गया। जो वर्तमान जमाबन्दी तक चला कर रहा है। जमीनी के राजस्व रिकॉर्ड के फलाना वाशकार्ड के फोटोपेक्षा पर ही प्रतिया येम की है जो सेलमन है।
इतः जमाबन्दी के खा.स. 175 पर जमीनी के पिता का नाम हांसू के बजाय आसू किया जाऊ उचित रिपोर्ट तहसीलदार रायपुर

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का बोरियापुरा व जाँच भू.अ.नि. वृत्त आशादेवी के आधार पर शुद्धि किया जाना उचित है।

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

8-11-21
तहसीलदार रायपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
क्रमांक:-प्र.गां.के सं./केम्प/2021/103/21(2021/293) दिनांक:-08-11-21

--आदेश :-

मुताबिक तहसीलदार रायपुर की जाँच रिपोर्ट एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर राजस्व ग्राम खेवाडा जमाबन्दी संवत् 2076-79 खाता संख्या 175 स्वयं/शामलाती खाते में खातेदार/सहखातेदार नाराण पुत्र हांसू & मोहन पुत्र हांसू & जाकी इन्द्राज जमाबन्दी अनुसार बदलने के नाम अंकित है जिसके बजाय नाराण पुत्र आसू & मोहन पुत्र आसू जाट जाकी इन्द्राज जमाबन्दी बदलने शुद्धि किया जाता है, तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे वास्ते तहसीलदार रायपुर को पालनार्थ प्रेषित है।



8-11-21
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर भीलवाड़ा

